न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. श्री मोहनलाल पुत्र श्री भूरमल, जाति- जैन, निवासी- पाडीव, हाल निवासी- मण्डवारिया, तहसील व जिला- सिरोही
2. श्री किरणराज पुत्र छगनलाल जी, जाति- जैन, निवासी- पाडीव, तहसील व जिला- सिरोही के कायम मुकाम व वारिसान:-

2/1. श्रीमती मोनिका पुत्री किरणराज जी पत्नि प्रफुल्ल भाई वखारिया, जाति- जैन, निवासी- 246, अम्बेर पेस, हिम्मतनगर-17, जिला- सांबरकांटा (गुजरात)

2/2. श्रीमती हिना पुत्री किरणराजजी पत्नि श्री आशिष जैन, जाति-जैन, निवासी-मकान नम्बर 245, M.E.S. कॉलेज रोड, मस्जिद के पास, एनुर डाबालिम जुराई नगर, मर्ग गोवा (दक्षिण) गोवा

2/3. श्री लोकेश पुत्र किरणराजजी, जाति-जैन, द्वारा:-प्रफुल्ल भाई वखारिया,निवासी-पाडीव, हाल निवासी 25 अम्बिका नगर, ब्राहमनी नगर, सवगंढ, तालुका- हिम्मतनगर (गुज.)

2/4. श्री सन्नी पुत्र किरणराजजी, जाति-जैन, द्वारा:-प्रफुल्ल भाई वखारिया, निवासी-पाडीव, हालनिवासी- 25 अम्बिका नगर, ब्राहमनी नगर, सवगढ, तालुका हिम्मतनगर (गुजरात)

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री मानाराम पुत्र नथाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पाडीव, तह. व जिला- सिरोही
2. श्री कन्हैयालाल पुत्र नथाजी, जाति-कुम्हार, निवासी- पाडीव, तह. व जिला- सिरोही
3. श्रीमति मोया उर्फ पंकुदेवी पत्नि रणछोडजी, जाति-कुम्हार, निवासी-पाडीव,तह. सिरोही
4. विष्णु उर्फ वीसाराम पुत्र रणछोडजी कुम्हार, निवासी-पाडीव, तह. सिरोही (अव्यस्क) जरिये कुदरती वली माता श्रीमती मोया उर्फ पंकुदेवी पत्नि रणछोडजी (अप्रार्थी सं.3)
5. अजाराम पुत्र रणछोडजी, जाति-कुम्हार, निवासी-पाडीव, तहसील- सिरोही (अव्यस्क) जरिये कुदरती वली माता श्रीमती मोया उर्फ पंकुदेवी पत्नि रणछोडजी (अप्रार्थी सं.3)
6. श्रीमती चम्पा पत्नि वगतारामजी, जाति-कुम्हार, निवासी-पाडीव,तह. सिरोही (जो अब मृत है)
7. जगाराम पुत्र वगतारामजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पाडीव, तह. सिरोही (अव्यस्क) जरिये निकटतम संबधी श्री मानाराम पुत्र नथाजी, जाति- कुम्हार, निवासी-पाडीव, तहसील व जिला- सिरोही
8. सुश्री डिम्पल पुत्री वगतारामजी, जाति-कुम्हार, निवासी-पाडीव, तह. सिरोही (अव्यस्क) जरिये निकटतम संबधी श्री मानाराम पुत्र नथाजी, जाति- कुम्हार, निवासी-पाडीव, तहसील व जिला- सिरोही
9. जेठाराम पुत्र वगतारामजी, जाति-कुम्हार, निवासी-पाडीव, तहसील- सिरोही (अव्यस्क) जरिये निकटतम संबधी श्री मानाराम पुत्र नथाजी कुम्हार, निवासी-पाडीव, तह. सिरोही
10. श्री प्रवीणचन्द पुत्र खेमचन्दजी, जाति- जैन, निवासी- पाडीव, तह. व जिला-सिरोही
11. ग्राम पंचायत, पाडीव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, पाडीव, तह. व जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 42/2015

''निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994''

.....पेज दो

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार शाह, अप्रार्थी संख्या- 10 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 16 नवम्बर, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी श्री मोहनलाल व श्री किरणराज की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, पाडीव द्वारा श्री नथा पुत्र सांकलाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पाडीव के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत क्षेत्रफल 868-3 वर्गफीट का जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 10 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार शाह उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या- 10 की ओर से लिखित जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 3 व अप्रार्थी संख्या- 4 व 5 की कुदरती वली माता श्रीमती मोया उर्फ पंकुदेवी पत्नि रणछोड जी (अप्रार्थी संख्या- 3) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 21.11.2017 को इस न्यायालय में उपस्थित हुई, उसके बाद अप्रार्थी संख्या-3 व अप्रार्थी संख्या- 4 व 5 की कुदरती वली माता श्रीमती मोया उर्फ पंकुदेवी पत्नि रणछोड जी (अप्रार्थी संख्या- 3) प्रकरण में नियत सुनवाई तिथियों पर उपस्थित नही हुई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 6 व अप्रार्थी संख्या- 7, 8 व 9 की कुदरती वली माता श्रीमती चम्पा पत्नि वगताराम जी (अप्रार्थी संख्या-6) को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस उसके मृत्यु की सूचना के साथ अदम तामिल प्राप्त होने पर प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. व सपठित आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या-6 (श्रीमती चम्पा) के उत्तराधिकारी इस निगरानी प्रकरण में रेकर्ड पर पूर्व से अप्रार्थी संख्या- 7 से 9 के रुप में विद्यमान होने व अप्रार्थी संख्या- 7 से 9 उनके बडे पिता श्री मानाराम पुत्र नथाजी कुम्हार, निवासी- पाडीव के साथ व सरंक्षण में वर्तमान में निवास करने से इस निगरानी प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-6 के मृत्यु की सूचना रेकर्ड पर दर्ज करवाने तथा तद्नुसार इस निगरानी के शीर्षक में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.2.2018 के अनुसार प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. व सपठित आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या-6 (श्रीमती चम्पा) की मृत्यु की सूचना इस निगरानी प्रकरण के रेकर्ड पर दर्ज कर तद्नुसार निगरानी प्रार्थना पत्र के शीर्षक में संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिस प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने इस निगरानी का संशोधिक शीर्षक अनवान प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 7 से 9 के कुदरती वली निकटतम संबंधी श्री मनाराम पुत्र नथाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पाडीव को

......पेज तीन

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी निगरानी प्रकरण की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। इस निगरानी प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थी संख्या-2 (श्री किरणराज) की मृत्यु होने से प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. व आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. सपठित आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थी संख्या-2 (श्री किरणराज) के विधिक वारिसान (प्रार्थी संख्या- 2/1 से 2/4) को रेकर्ड पर लिये जाने का अनुरोध किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. व आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. व सपठित आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या- 2 (श्री किरणराज) के वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये। जिस पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निगरानी का संशोधित शीर्षक अनवान प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में प्रार्थीगण के अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या- 10 के अधिवक्ता की गुणावगुण पर सम्पूर्ण बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुराणा ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, पाडीव द्वारा श्री नथा पुत्र सांकलाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पाडीव के पक्ष में पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 को जारी करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की गई है। उक्त नथाजी का स्वर्गवास हो चुका है व अप्रार्थी संख्या- 1 से 9 मृतक नथाजी के कानूनी उत्तराधिकारी एवं वारिसान है, जिन्होनें मृतक श्री नथा पुत्र सांकलाजी के कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से उक्त पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 की भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या-10 (प्रवीणचन्द पुत्र खेमचन्द जी जैन, निवासी-पाडीव) के हक में दिनांक 16.11.2010 को पंजीकृत विक्रय विलेख से किया है। यह कि ग्राम पंचायत, पाडीव द्वारा श्री नथा पुत्र सांकलाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पाडीव के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 20 की भूमि में आम खलसाई गली की 20x16.3 वर्गफीट भूमि को सम्मिलित करते हुए श्री नथा पुत्र सांकलाजी के पक्ष पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 को जारी किया है। यह कि प्रार्थीगण के पुश्तैनी मकानात एवं भूमि ग्राम पाडीव में ढाल की बेरी की सेरी में आये हुये है, जिसका पट्टा सिरोही रियासत के समय ठिकाना पाडीव द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज श्री भूरमल, रिखबदास, मेलापचन्द, छोगालाल फुआ ओतर के नाम से दिनांक 29.8.1930 को जारी किया हुआ है, इस पट्टेशुदा भूखण्ड की चतुर्दशी अनुसार पूर्व दिशा में घांची नोपा खसाजी की भूमि, पश्चिम दिशा में खालसाई भूमि 3 फीट, उत्तर दिशा में आम रास्ता व दरवाजा व दक्षिण दिशा में खालसाई पडत गली जिसमें दरवाजा एक है। प्रार्थीगण के उक्त पुश्तैनी पट्टेशुदा मकानात व भूमि के दक्षिण दिशा में खालसाई गली 20 फीट चौडी है एवं इस गली में प्रार्थीगण के मकान का एक दरवाजा है। ग्राम पंचायत, पाडीव ने प्रार्थीगण के उक्त पुश्तैनी पट्टेशुदा मकानात व भूमि के दक्षिण दिशा की खालसाई गली की 20x16.3 वर्गफीट भूमि को सम्मिलित करते हुए श्री नथा पुत्र सांकलाजी के पक्ष पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 को क्षेत्रफल 868.3 वर्गफीट भूमि का जारी किया है, जबकि ग्राम पंचायत, पाडीव को आम गली की भूमि का

.....पेज चार

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पट्टा जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नही है। उक्त गली की भूमि के पश्चिम दिशा में मूलचन्द होसाजी का मकान एवं पूर्व दिशा में नथा सांकला व नवा सांकला तथा जवानमल कस्तुरजी के मकानात है। उक्त गली आगे चल कर दक्षिण दिशा में रावला की सेरी के मुख्य सडक से मिलती है। उक्त गली की स्थिति को दर्शाता हुआ मौके का नजरी नक्शा जो जनवरी, 2013 की मौके की स्थिति को दर्शाता हुआ है इस निगरानी-प्रकरण में इस न्यायालय में पेश किया है। उक्त नक्शें में मौके पर प्रार्थीगण के मकान के दक्षिण दिशा में रास्ता/गली स्थित रही है जिसकी चौडाई 20 फीट है। प्रार्थी का मकान दो डुकडों में है जिसमें एक भाग खांचे के रुप में है जो नजरी नक्शें में दर्शित है। उक्त खालसाई पडत गली की भूमि के पूर्व दिशा में नथा पुत्र सांकला, नवा पुत्र सांकला एवं जवानमल पुत्र कस्तूरजी के केलूपोश मकानात बने हुये थे तथा उक्त रास्ते के पश्चिम दिशा में मूलचन्द होसाजी का पुराना मकान स्थित है जिसकी छत लोहे की चद्दरों से ढकी हुई है का बरसाती पानी उक्त रास्ते की भूमि पर गिरता है। उक्त मूलचन्द होसाजी के मकान के तीन रोशन दान उक्त रास्ते की भूमि पर स्थित है जिससे यह भलीभांति प्रकट है कि मूलचन्द होसाजी के मकान के पूर्व दिशा में रास्ता (गली) है जो आवागमन हेतु उपयोग में आता रहा है। ग्राम पंचायत पाडीव ने उक्त खालसाई रास्ते की 20 फीट x 16 फीट 3 इन्च भूमि को शामिल करते हुए अप्रार्थी संख्या- 1 से 9 के पूर्व रसाधिकारी नथा पुत्र सांकलाजी के नाम से दिनांक 28.3.1987 को जारी किया है जो सर्वथा विधि विरुद्ध है। यह कि अप्रार्थी संख्या- 1 से 9 ने उक्त पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 की भूमि का अप्रार्थी संख्या-10 (प्रवीणचन्द पुत्र खेमचन्दजी, जाति- जैन, निवासी-पाडीव) को पंजीकृत विक्रय विलेख से वर्ष 2010 में विक्रय करने के बाद अप्रार्थी संख्या- 10 ने प्रश्नगत पट्टा संख्या 20 की भूमि पर निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से कुछ समय पूर्व ही मकान व गैरेज का निर्माण करवाया है जिसमें अप्रार्थी संख्या-10 (प्रवीणचन्द) द्वारा गैरेज का निर्माण रास्ते की भूमि में करवाया है। अप्रार्थी संख्या-10 द्वारा आम रास्ते की भूमि पर निर्माण करवाने से प्रार्थीगण के मकान के दक्षिण दिशा में आवागमन का रास्ता एवं दरवाजा बन्द हो गया है। यह कि ग्राम पंचायत, पाडीव ने राजस्थान पंचायती राज नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आम रास्ते की भूमि का पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 को श्री नथा पुत्र सांकलाजी के पक्ष में जारी किया है जो प्रारम्भत: अवैध व शून्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या- 1 से 9 के पूर्व रसाधिकारी नथा पुत्र सांकलाजी एवं उनके वारिसान ने प्रश्नगत पट्टा जारी होने के बाद भी रास्ते की मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नही किया है जिससे प्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टा जारी करने की पूर्व में जानकारी नही हो सकी है। ग्राम पंचायत, पाडीव ने श्री नथा पुत्र सांकलाजी के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थी मोहनलाल व प्रार्थी संख्या-2 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किया है जिससे प्रार्थीगण ग्राम पंचायत, पाडीव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रहे है। जबकि अप्रार्थी संख्या- 10 (प्रवीणचन्द पुत्र खेमचन्द जी जैन) के विद्वान अधिवक्ता श्री शाह ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या-10 ने ग्राम पंचायत, पाडीव द्वारा श्री नथा पुत्र सांकलाजी कुम्हार,

....पेज पांच

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निवासी- पाडीव के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 की भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16.11.2010 के द्वारा श्री नथा पुत्र सांकलाजी कुम्हार के वारिसान से तथा ग्राम पंचायत, पाडीव द्वारा श्रीमती चुनीबाई पत्नि श्री नवाराम सांकलाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पाडीव के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 23.4.1986 की भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16.11.2010 के द्वारा श्रीमती चुनीबाई पत्नि सांकलाजी कुम्हार से कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। यह कि ग्राम पंचायत, पाडीव द्वारा श्री नथा पुत्र सांकलाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 की भूमि (जिसे अप्रार्थी संख्या-10 ने पंजीकृत विक्रय विलेख से दिनांक 16.11.2010 को क्रय किया है) में रास्ते या गली की भूमि सम्मिलित नही है तथा न ही मौके पर कभी कोई रास्ता या खालसाई गली अस्तित्व में रही है, बल्कि हकीकत यह है कि अप्रार्थी संख्या-10 द्वारा नव निर्मित गैरेज निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये नक्शें में दर्शायें अनुसार पारसमल पुत्र मगनलाजी के मकान के पीछे उसके मकान के दक्षिण दिशा में बना हुआ है व पारसमल के मकान से लगते हुए पूर्व दिशा के मकानों के दक्षिण दिशा में 4 फीट की चौडी गली स्थित है, जो आज भी मौके पर मौजूद है। इस गली के दोनों तरफ स्थित मकान पहले केलू से ढके हुए कच्चे केलूपोश मकान थे, इस कारण कच्चे मकानों के केलु से गिरने वाले बरसाती पानी निकासी हेतु मकानों के पीछे करीब 4 फीट गली छोडी जाती थी। जिसका उपयोग केवल बरसात के पानी की निकास हेतु ही होता था। इस गली का उपयोग कभी भी आवागमन हेतु नही किया जाता था। इसी कारण इस तरह की गलियों में किसी भी मकान के दरवाजे नही खुले हुये है। उक्त गलीया ग्राम पंचायत की निजी सम्पति होती है। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया है वह पूर्णतया गलत है। प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थी संख्या-2 द्वारा इसी विवादित भूमि के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय, सिरोही में वाद संख्या 39/2014 प्रस्तुत किया था उसके साथ भी विवादित स्थल का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया था जिसके अवलोकन से यह पूर्णतया से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया है, वह पूर्णतया गलत है। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार ठिकाना पाडीव द्वारा श्री भूरमल व अन्य के नाम से दिनांक 29.8.1930 को जारी पट्टे की चतुर्दशी का कोई मकान विवादित भूमि के आस पास स्थित नही है तथा न ही प्रार्थी मोहनलाल ग्राम पाडीव में रहता है, अपितु प्रार्थी मोहनलाल ग्राम मण्डवारिया में लम्बे समय से निवास कर रहा है। पाडीव ठिकाना द्वारा श्री भूरमल व अन्य के पक्ष में दिनांक 29.8.1930 को जारी पट्टे की भूमि विवादित भूमि के पास ही स्थित हो, यह तथ्य साबित नही है। विवादित भूमि रास्ते या गली की भूमि नही होकर अप्रार्थी संख्या-10 के कब्जे स्वामित्व की आवासीय भूमि है जिस पर अप्रार्थी संख्या-10 के मालकी व कब्जे का 12 फीट लम्बाई व 10 फीट चौडाई में गैरेज बना हुआ है, इस गैरेज के पूर्व दिशा में गैरेज की 10 फीट चौडाई की भूमि को छोडते हुए उत्तरी किनारे पर उक्त 4 फीट की चौडी गली स्थित है व दक्षिण की तरफ अप्रार्थी संख्या-10 का मकान हुआ है तथा शेष भाग खुला है जो जवाब में अंकित नजरी

.....पेज छः

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नक्शें में दर्शाया हुआ है। यह कि उक्त श्री मूलचन्द होसाजी के मकान के दरवाजे व खिडकीयां उक्त 4 फीट की गली में नही है, केवल मकान के रोशनदान अवश्य इस 4 फीट गली की ओर बने हुये है, यदि विवादित भूमि वास्तव में 20 फीट चौडी गली होती तो उक्त मूलचन्द पुत्र होसाजी के मकान का दरवाजा व खिडकी अवश्य गली में होते है, परन्तु मूलचन्द होसाजी के मकान का दरवाजा या खिडकी इस गली में नही है, इससे स्पष्ट है कि मौके पर कभी भी 20 फीट की गली या रास्ता नही रहा है व न ही मौके पर है, बल्कि मौके पर 4 फीट की गली बरसाती पानी निकासी हेतु आज भी खुली हुई है, परन्तु इस 4 फीट की गली का आवागमन हेतु कभी भी उपयोग न तो हुआ है व न ही होता है, यह 4 फीट की गली तीन मकानों के आगे जाकर बन्द होती है। अप्रार्थी संख्या- 10 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि विवादित भूमि गली की भूमि होने के कथनों के आधार पर प्रार्थी किरणराज पुत्र स्व. छगनलालजी उर्फ छोगालाल जी, जाति- जैन, निवासी- पाडीव ने अप्रार्थी संख्या-10 व ग्राम पंचायत के विरुद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश, सिरोही के न्यायालय में आज्ञापक व्यादेश व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया था। उक्त वाद संख्या 39/2014 में माननीय सिविल न्यायाधीश, सिरोही द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.5.2016 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विरुद्ध पतिवादी बाबत आज्ञापक व्यादेश व स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार कर खारिज किया गया है। उक्त वाद संख्या 39/2014 में माननीय सिविल न्यायालय, सिरोही द्वारा यह विवाद बिन्दु कायम किया गया कि आया वादी, विवादित भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा प्राप्त कर उक्त विवादित भूमि रास्ते की भूमि है या नही व विवादित भूमि पर निर्मित निर्माण कार्य हटवाने का व रास्ता खुलने का अधिकारी है या नही? इस विवाद बिन्दु (तनकी संख्या- 1 व 2) के संबंध में माननीय सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.5.2016 में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि उक्त गली जो बीस फीट होने का कथन वादी के द्वारा किया गया है के संबंध में उपधारणा कायम नही की जा सकती है व समग्र विवेचनानुसार तनकीयात संख्या एक व दो वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से वादी के विरुद्ध तथा प्रतिवादी के पक्ष में तय की की जाती है। यह कि माननीय सिविल न्यायालय, सिरोही द्वारा जब विवादित भूमि के संबंध में यह निर्णय किया जा चुका है कि विवादित भूमि आम गली या रास्ते की भूमि नही है तो उसी कथनों के आधार पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नही है। अप्रार्थी संख्या- 10 के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2018(2) DNJ(Raj.) Page 385 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि को अप्रार्थी संख्या-10 ने पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की है, इस कारण से पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त कराने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। अप्रार्थी संख्या- 10 के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा सिविल रिट (CW)संख्या 11283/2016 गोपाराम व अन्य बनाम स्टेट व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 04.10.2016 एवं एस.बी. सिविल रिट संख्या 2290/1999 पदमाराम बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.12.2016 तथा विधिक

.....पेज सात

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

दृष्टान्त 1997 SAR(Civil) SUPREME COURT 783 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 को ग्राम पंचायत, पाडीव द्वारा जारी किया गया है एवं पट्टा जारी होने के करीब 28 वर्ष बाद प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया है, जो अतिशय से विलम्ब से प्रस्तुत किया है। जहां संबंधित नियम/अधिनियम में मियाद अवधि निर्धारित नही है, वहां निगरानी युक्तियुक्त समय में ही प्रस्तुत की जानी चाहिये, लेकिन प्रार्थीगण ने जानबूझ यह निगरानी प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नही है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या-10 के कथनों के जवाब में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि प्रार्थी मोहनलाल मूलतः ग्राम पाडीव का निवासी है और पेशे से चिकित्सक है जो ग्राम मण्डवारिया में प्रेक्टिस करता है। प्रार्थीगण के पूर्वजों श्री भूरमल व अन्य के पक्ष में पाडीव ठिकाना द्वारा जारी पट्टा दिनांक 19.8.1930 में दक्षिण दिशा में खालसाई गली दर्ज है जो 20 फीट चौडी है। प्रार्थी श्री किरणराज ने माननीय सिविल न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत नक्शा सहवन से गलत प्रस्तुत किया था। अप्रार्थी संख्या- 10 द्वारा पश्चिम दिशा की 3 फीट की गली को गलत रुप से दक्षिण दिशा में 4 फीट गली होने का कथन कर रहे है। माननीय सिविल न्यायाधीश, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 03.5.2016 को निरस्त कराने हेतु माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में अपील प्रस्तुत की गई है, जो लम्बित है। वैसे भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों के परीक्षण का अधिकार सिविल न्यायालय को नही होकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत इसी न्यायालय को है तथा बिना अधिकारिता एवं शून्य आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है, इसलिये प्रश्नगत पट्टे की वैधता, औचित्यता व अनियमितता के संबंध में परीक्षण किया जाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 को निरस्त किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा प्रश्नगत पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 से संबंधित रेकर्ड का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पाडीव द्वारा पंचायत संकल्प संख्याः 1 (एक) दिनांक 21.10.1986 के अनुसरण में श्री नथा पुत्र सांकलाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पाडीव के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत क्षेत्रफल 868.3 वर्गफीट का जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि ''प्रार्थीगण के पुश्तैनी मकानात एवं भूमि ग्राम पाडीव में ढाल की बेरी की सेरी में आये हुये है, जिसका पट्टा सिरोही रियासत के समय ठिकाना पाडीव द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज श्री भूरमल, रिखबदास, मेलापचन्द, छोगालाल फुआ ओतर के नाम से दिनांक 29.8.1930 को जारी किया हुआ है, इस पट्टेशुदा भूखण्ड की चतुर्दशी अनुसार पूर्व दिशा में घांची नोपा खसाजी की भूमि, पश्चिम दिशा में खालसाई भूमि 3 फीट, उत्तर दिशा में आम रास्ता व दरवाजा व दक्षिण दिशा में खालसाई पडत गली जिसमें दरवाजा एक है।

....पेज आठ

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थीगण के उक्त पुश्तैनी पट्टेशुदा मकानात व भूमि के दक्षिण दिशा में खालसाई गली 20 फीट चौडी है एवं इस गली में प्रार्थीगण के मकान का एक दरवाजा है। ग्राम पंचायत, पाडीव ने प्रार्थीगण के उक्त पुश्तैनी पट्टेशुदा मकानात व भूमि के दक्षिण दिशा की खालसाई गली की 20x16.3 वर्गफीट भूमि को सम्मिलित करते हुए श्री नथा पुत्र सांकलाजी के पक्ष पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 को क्षेत्रफल 868.3 वर्गफीट भूमि का जारी किया है।'' जबकि अप्रार्थी पक्ष का यह कथन है कि ''ग्राम पंचायत, पाडीव द्वारा श्री नथा पुत्र सांकलाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 28.3.1987 की भूमि (जिसे अप्रार्थी संख्या-10 ने पंजीकृत विक्रय विलेख से दिनांक 16.11.2010 को क्रय किया है) में रास्ते या गली की भूमि सम्मिलित नही है तथा न ही मौके पर कभी कोई रास्ता या खालसाई गली अस्तित्व में रही है।'' अप्रार्थी पक्ष का यह भी कथन है कि मौके पर 4 फीट की चौडी गली है, जो आज भी मौके पर मौजूद है, इस गली के दोनों तरफ स्थित मकान पहले केलू से ढके हुए कच्चे केलूपोश मकान थे, इस कारण कच्चे मकानों के केलु से गिरने वाले बरसाती पानी निकासी हेतु मकानों के पीछे करीब 4 फीट गली छोडी जाती थी। जिसका उपयोग केवल बरसात के पानी की निकास हेतु ही होता था।

प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि वादी श्री किरणराज पुत्र स्व. छगनलाल जी, जाति- जैन, निवासी- पाडीव (प्रार्थी संख्या-2) द्वारा उसके मकान के दक्षिण दिशा में 20 फीट की गली होने के कथनों के आधार पर माननीय सिविल न्यायाधीश, सिरोही के न्यायालय में वादपत्र बाबत आज्ञापक व्यादेश व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी श्री प्रवीण कुमार पुत्र खेमचन्द जी (अप्रार्थी संख्या-10) एवं सरपंच, ग्राम पंचायत, पाडीव (अप्रार्थी संख्या-11) के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। माननीय सिविल न्यायाधीश, सिरोही द्वारा मूलवाद प्रकरण संख्याः 39/2014 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.5.2016 के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादी बाबत आज्ञापक व्यादेश व स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार कर खारिज किया गया है। माननीय सिविल न्यायाधीश, सिरोही द्वारा मूलवाद प्रकरण संख्याः 39/2014 में पारित निर्णय दिनांक 03.5.2016 में तनकी संख्या- 1 व 2 में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि ''उक्त गली जो बीस फीट होने का कथन वादी के द्वारा किया गया है के संबंध में उपधारणा कायम नही की जा सकती है। अतः समग्र विवेचनानुसार तनकीयात संख्या एक व दो वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से वादी के विरुद्ध तथा प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।''

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज सिरोही रियासत के समय ठिकाना पाडीच द्वारा श्री भूरमल व अन्य के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 29.8.1930 की फोटो प्रति व प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ठिकाणा पाडीव द्वारा जारी उक्त पट्टा दिनांक 29.8.1930 में अंकित चतुर्दशी में तरसी बाजु दखण दिशा में खालसाई पडत गली जिणमें दरवाजो 1- एक खोलजे होना अंकित किया है। इससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टा दिनांक 29.8.1930 से संबंधित भूमि के दक्षिण दिशा में 20 फीट की चौडी

....पेज नौ

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

गली नही है एवं न ही मौके पर 20 फीट चौडी गली अस्तित्व में रही है। इस प्रकार, प्रकरण में प्रार्थीगण यह तथ्य साबित करने में असफल रहे है कि ग्राम पंचायत, पाडीव द्वारा श्री नथा पुत्र सांकलाजी कुम्हार, निवासी- पाडीव के पक्ष में गली या रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया गया हो। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही